



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2000/भाद्र 31, 1922

No. 489]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2000/BHADRA 31, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2000

सा. का. नि. 737(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और 'घ' समूह पद-सुरक्षा) भर्ती नियम, 1991 और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और 'घ' समूह पद) भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय, आंशिक रूप से अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के अधीन मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन, मद्रास (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान आदि : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. सहायक	7* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	5000-150-8000/- रु.	लागू नहीं होता	20 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष (तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती हैं।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
8	9	10
<p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य ।</p> <p>(ii) शब्द संसाधन का ज्ञान और</p> <p>(iii) जिनके पास अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी टाइपलेखन में 25 शब्द प्रतिमिनट की न्यूनतम गति है।</p> <p>टिप्पण:- ऐसा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है किन्तु जिनके पास टाइपलेखन में उक्त अर्हता नहीं है इस शर्त के अधधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या कोई सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइपलेखन की स्थिति में नहीं है ।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हताएं: हां</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता</p>	<p>11</p> <p>71 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 29 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p>
<p>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>12</p> <p>प्रोन्नति :- 4000-6000 ₹0 के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं ।</p> <p><u>प्रतिनियुक्ति:-</u> केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4500-7000/- ₹0 के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 4000-6000/- ₹0 के वेतनमान के रूप में उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में आठ वर्ष नियमित सेवा की है ।</p> <p>(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	13	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
	14	लागू नहीं होता
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)		
1. विकास आयुक्त, मद्रास		अध्यक्ष
निर्यात प्रसंस्करण जोन		सदस्य
2. उप विकास आयुक्त, मद्रास		सदस्य
निर्यात प्रसंस्करण जोन		सदस्य
3. प्रशासनिक अधिकारी,		सदस्य
मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन		सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ आष्टलिपिक	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	5000-150- 8000/- रु.	चयन-सह- ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति :- 4000-6000 ₹ के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय कनिष्ठ आशुलिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति -</p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4500-7000/- ₹ के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने 4000-6000/- ₹ के वेतनमान आठ वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p>(ख) जिनके पास अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनट तथा अंग्रेजी टाइपलेखन में 40 शब्द प्रतिमिनट की गति है ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गम केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित्वीय	4500-125-7000/- रु.	लागू नहीं होता	28 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 31वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 33 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

8	9	10
<p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय के रूप में रहा हो ।</p> <p>(ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें अनुदेश और परीक्षा का माध्यम हिन्दी रहा हो तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में रही हो ; या</p> <p>(ग) बेचलर डिग्री जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में रहे हो या इन दोनों में से कोई एका विषय परीक्षा माध्यम रहा हो और अन्य विषय मुख्य विषय के रूप में रहा हो और हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का 2 वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(घ) शब्द संसाधन और हिन्दी साफ्टवेयर के प्रयोग का ज्ञान ।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12
<p>प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।</p>	<p><u>प्रतिनियुक्ति -</u> केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 4000-6000/- रु के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है, या (iii) 3050-4590/- रु के वेतनमान वाले पदों पर उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में यथा अधिकथित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गम केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. कनिष्ठ आशुलिपिक	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000/- रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 28वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

8	9	10
<p>(i) सैकेंड्री स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण या इसके समतुल्य।</p> <p>(ii) अंग्रेजी आशुलिपिक में 80 शब्द प्रतिमिनट और अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति।</p> <p>(iii) शब्द संसाधन का ज्ञान।</p>	<p>आयु: नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता: हां</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12	
<p>60 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रोन्नति:- 3050-4590 रु० के वेतनमान में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक/हिन्दी टंकक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है और शब्द संसाधन का ज्ञान रखते हैं।</p> <p>प्रतिनियुक्ति -</p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 3050-4590/- रु० के वेतनमान वाले ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनकी 80 शब्द प्रतिमिनट की गति है।</p> <p>(ख) जिनकी अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रतिमिनट, अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है। और</p> <p>(ग) शब्द संसाधन का ज्ञान।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 2. प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 3. सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>

1	2	3	4	5	6	7
5. उच्च श्रेणी लिपिक	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	4000-100- 6000/- रु.	चयन-सह- ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:- 3050-4590 रु० के वेतनमान में ऐसे विभागीय अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जिनको शब्द संसाधन का ज्ञान है।

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)</p> <ol style="list-style-type: none"> उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. प्रधान सुस्था गारद	4* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', असजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100- 6000/- रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 30 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है और नियमों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी) <u>टिप्पण:-</u> प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों/राज्य के सैनिक कल्याण कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता

8	9	10
<p>आवश्यक:- किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कम से कम आठवां स्तर उत्तीर्ण किया हो ।</p> <p>न्यूनतम शारीरिक मान:- <u>पुरुष:-</u> (क) उंचाई : 165 सेमी. (ख) सीना : न्यूनतम 78.75 सेमी. फुलाकर 83.75 सेमी. (ग) भार : 50 किग्रा. (घ) दृष्टि : चश्मों के साथ या बिना पहने हुए सामान्य हो ।</p> <p><u>महिलाएं:-</u> (क) उंचाई : 153 सेमी. (ख) सीना : लागू नहीं (ग) भार : लागू नहीं (घ) दृष्टि : चश्मों के साथ या उसके बिना सामान्य ।</p> <p>टिप्पण:- अग्यर्थियों के अंतर्जानु और सपाट पैर नहीं होने चाहिए ।</p> <p>वांछनीय:- अग्निशमन संक्रियाओं में अनुभव ।</p>	<p>9</p> <p>नहीं</p>	<p>10</p> <p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की दशा में दो वर्ष</p>

11	12
<p>प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर राज्य के सेजगार कार्यालयों/सैनिक कल्याण कल्याण कार्यालयों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । मुत्तपूरु सैनिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन</p>	<p>प्रोन्नति:- ऐसे विभागीय सुस्था प्रतिनियुक्ति जिन्होंने उस श्रेणी में 16 वर्ष नियमित सेवा की है । प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:- सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ 8 में विहित अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख से प्रतिनियुक्तता के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।</p>
13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन सुस्था अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>लागू नहीं होता</p> <p>अध्यक्ष सदस्य सदस्य</p>

1	2	3	4	5	6	7
7. अवर श्रेणी लिपिक	5* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	3050-75- 3950-80- 4590/- रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष तक सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

8	9	10
<p>(i) सैकेन्द्री विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य ।</p> <p>(ii) 'जिनकी अंग्रेजी टाइपलेखन में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति है ।</p> <p>(iii) शब्द संसाधन का ज्ञान ।</p> <p>टिप्पण:- ऐसा शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित किन्तु जिसके पास टाइपलेखन में अर्हता नहीं है इस शर्त के अध्वधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्ति के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर देते हैं कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टंकण करने की उपयुक्त अवस्था में नहीं है ।</p>	<p>नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12
80 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।	<p>प्रोन्नति:- निम्नलिखित शर्तों के अधीन विभागीय डुप्लीकेटिंग प्रचालक और चपरसियों (समूह 'घ') में से प्रोन्नति द्वारा ।</p> <p>(क) चयन, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए संचालित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं ।</p> <p>(ख) विभागीय परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष ।</p> <p>(ग) डुप्लीकेटिंग प्रचालक और चपरसी के पदों पर 8 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा आवश्यक है ।</p>

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7
8. हिन्दी टंकक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	3050-75- 3950-80- 4590/- रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	लागू नहीं होता

8	5	10
<p>(i) सैकेट्री विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य ।</p> <p>(ii) जिनकी हिन्दी टाइपलेखन में 25 शब्द प्रतिमिनट की गति है ।</p> <p>(iii) शब्द संसाधन का ज्ञान ।</p>	<p>आयु : नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता : हाँ</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12
<p>कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा ।</p>	<p>प्रोन्नति- विम्बलिखित शर्तों के अधीन विभागीय डुप्लिकेटिंग प्रचालक और चपरासियों (समूह 'घ') में से प्रोन्नति द्वारा ।</p> <p>(क) चयन, ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए संचालित विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जो स्तंभ (8) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हैं ।</p> <p>(ख) विभागीय परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष ।</p> <p>(ग) डुप्लिकेटिंग प्रचालक और चपरासी के पदों पर 8 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा आवश्यक है ।</p>

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति</p> <ol style="list-style-type: none"> उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7
9. डुप्लीकेटिंग प्रचालक	1* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसूचितीय	2650-65-3300-70-4000/- रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति:- 2550-3200 के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय चपरासी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा कर ली है और जिनके पास डुप्लिकेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेंसिल, कटर, फोटो कॉपीयर, फैक्स मशीन के रखरखाव में प्रवीणता है और अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता रखते हैं।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में)	
1. उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	अध्यक्ष
2. प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य
3. सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन	सदस्य

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10. चपरासी	2* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ', अराजपत्रित, अनुसूचिवाय	2550-55- 2660-60- 3200/- रु	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) आधुनीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	लागू नहीं होता

8	9	10
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी बोर्ड से 8वां स्तर उतीर्ण या इसके समतुल्य और अग्रेजी पढ़ने की योग्यता हो।	लागू नहीं होता	10 दो वर्ष

11	12
रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।	लागू नहीं होता

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 2. प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 3. सहायक विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>लागू नहीं होता</p>

1	2	3	4	5	6	7
11. सुख्या गारुद	33* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	2550-55- 2660-60- 3200/ - रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की बाबत शिथिल करके 28 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अर्थियों की बाबत 30 वर्ष तक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है।) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रेजगार कार्यालयों/सैनिक कल्याण कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नहीं

8	9	10
<p>आवश्यक:- किसी मान्यताप्राप्त संस्था से 8वां स्तर परीक्षा या इसके समतुल्य ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सिपाही के रूप में या समतुल्य श्रेणियों में सेवा की है और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से पांचवें स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है।</p> <p>न्यूनतम शारीरिक मान:- पुरुष:- (क) उंचाई : 165 सेमी. (ख) सीना : न्यूनतम 78.75 सेमी. फुलाकर 83.75 सेमी. (ग) भार : 50 किग्रा. (घ) दृष्टि : चश्मा के साथ और बिना चश्मे के बिनर सामान्य हो</p> <p>महिलाएं- (क) उंचाई : 153 सेमी. से कम न हो (ख) सीना : लागू नहीं होता (ग) भार : उंचाई के अनुपात में (घ) दृष्टि : चश्मा के साथ और चश्मे के बिना सामान्य हो।</p> <p>टिप्पण:- अभ्यर्थी के पैर अंतर्जानु या सपाट पैर होने चाहिए। वांछनीय:- अग्निशमन संक्रिया का अनुभव।</p>	<p>नहीं</p>	<p>सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12
<p>राज्य के रोजगार कार्यालय/सैनिक कल्याण कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।</p> <p>भूतपूर्व सैनिकों के लिए:- प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन</p>	<p>प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:- सशस्त्र बल के ऐसे कर्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास में विहित अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।</p>

13	14
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में)</p> <ol style="list-style-type: none"> उप विकास आयुक्त, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन सुस्त्रा अधिकारी, मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन 	<p>अध्यक्ष सदस्य सदस्य</p> <p>लागू नहीं होता</p>

[फा.सं.ए-6/1/2000/ई.पी.जैड.]

के. के. विजयन, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2000

G.S.R. 737(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in partial supersession of the Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts- Security) Recruitment Rules, 1991 and Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' and 'D' posts in the Madras Export Processing Zone, Madras, under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, namely:-

2. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Madras Export Processing Zone, Madras (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** - These rules shall apply to the posts specified in column [1] of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay** - The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns [2] to [4] of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matter relating thereto shall be as specified in columns [5] to [14] of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification** - No person ,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said posts

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax,** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving,** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Assistant	7* (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs.5000-150-8000	Not applicable	Between 20 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

* Subject to variation dependent on workload.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	<p>(i) Degree from a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) knowledge in word processing; and</p> <p>(iii) possessing a minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting.</p> <p>Note: Physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Staff Selection Commission for handicapped or a Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a condition to type.</p>	<p>Age : No.</p> <p>Educational qualifications: Yes.</p>	Two years for direct recruits.

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
[11]	[12]	[13]	[14]
71 percent by promotion and 29 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission, failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u> Departmental Upper Division Clerks in the pay scale of Rs.4000- 6000 with eight years' regular service in the grade and having knowledge in word processing.</p> <p><u>Deputation:</u> Officers in the Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with three years' regular service in the post in the pay scale of Rs.4500-7000 ; or (iii) with eight years' regular service as Upper Division Clerk in the pay scale of Rs.4000-6000; (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion):</u> 1. Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member.</p>	Not applicable.

[11]	[12]	[13]	[14]
------	------	------	------

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2. Senior Stenographer.	2* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs.5000-150-8000	Selection-cum-seniority.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

* Subject to variation dependent on workload.

[11]	[12]	[13]	[14]
By promotion failing which by deputation.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Departmental Junior Stenographers in the pay scale of Rs. 4000-6000 with eight years' regular service in the grade and having knowledge in word processing.</p> <p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers in the Central Government holding:</p> <p>(a) (i) analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with three years' regular service in the post of Stenographer in the pay scale of Rs. 4500-7000; or</p> <p>(iii) with eight years' regular service in the post of Stenographer in the pay scale of Rs.4000-6000; and</p> <p>(b) possessing a speed of 100 words per minute in English Shorthand and 40 words per minute in English typewriting; and</p> <p>(c) knowledge in word processing.</p> <p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</u></p> <p>1. Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman.</p> <p>2. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member.</p> <p>3. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member.</p>	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3. Junior Hindi Translator	1 (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs.4500-125-7000	Not applicable	<p>Upto 28 years. (Upto 31 years in respect of Other Backward Classes and upto 33 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>(Relaxable for Government servants upto 40 years of age).</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p>

* Subject to variation dependent on workload

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	<p>(a) Master's Degree of recognised university in Hindi/ English with English/ Hindi as a main subject at Degree level; or</p> <p>(b) Master's Degree of a recognised university in any subject with Hindi as a medium of instruction and examination with English as a compulsory subject at the Degree level; or</p> <p>(c) Bachelor's Degree with Hindi and English as main subject or either of the two as medium of examination and other as a main subject plus recognised Diploma / Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central/State Government Offices including Government of India undertakings; and</p> <p>(d) knowledge in word processing and use of Hindi software.</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
By deputation failing which direct recruitment through Staff Selection Commission.	<p><u>Deputation:</u></p> <p>Officers in the Central Government holding :</p> <p>(a) (i) analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) posts in the pay scale of Rs.4000-6000 with five years' regular service in the grade; or</p> <p>(iii) posts in the pay scale of Rs.3050-4590 with thirteen years' or regular service in the grade; and</p> <p>(b) possessing educational and other qualifications as laid down in column (8) for direct recruits.</p> <p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	Not applicable.	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4. Junior Stenographer.	5* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	Rs.4000-100-6000.	Not applicable	<p>Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes candidates and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government Servants upto 40 years of age).</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p>

* Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable	(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent; (ii) possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand and 30 words per minute in English Typewriting; and (iii) knowledge in word processing.	Age : No. Educational qualifications: Yes.	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
60 percent by promotion and 40 percent by deputation/absorption; failing both by direct recruitment through Staff Selection Commission.	<p><u>Promotion:</u> Departmental Lower Division Clerks/Hindi Typist in the pay scale of Rs.3050-4590 with eight years' regular service in the grade and possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand, 30 words per minute in English Typewriting and having knowledge in word processing.</p> <p><u>Deputation/Absorption:</u> Officers in the Central Government: I. (a)(i) holding an analogous post on regular basis; or (ii) Lower Division Clerks in the pay scale of Rs.3050-4590 with eight years' regular service in the grade; and possessing a speed of 80 words per minute in English Shorthand, 30 words per minute in English Typewriting; and (c) knowledge in word processing.</p> <p>(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion):</u> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member.</p>	Not Applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
5. Upper Division Clerk	5* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs.4000-100-6000	Selection-cum-seniority.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

* Subject to variation dependent on workload.

[11]	[12]	[13]	[14]
By promotion.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Departmental Lower Division Clerks in the pay scale of Rs. 3050-4590 with eight years regular service in the grade and having knowledge in word processing.</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion):</u></p> <p>1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman.</p> <p>2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member.</p> <p>3. Assistant Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member.</p>	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6. Head Security Guard.	4* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.4000-100-6000.	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto 30 years and for Ex-Servicemen as per Rules). Note:- The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchange/Sainik Welfare Offices of the State are asked to submit their names.

* Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	<p><u>Essential:</u> Intermediate or equivalent examination from a recognised Board/University, or Ex-servicemen with a minimum with VIII standard pass.</p> <p><u>Minimum physical standards:</u></p> <p><u>Men:</u></p> <p>(a) Height: 165 cms.</p> <p>(b) Chest: Minimum 78.75 cms. Expanded: 83.75 cms.</p> <p>(c) Weight: 50 Kgs.</p> <p>(d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses.</p> <p><u>Women:</u></p> <p>(a) Height: Not less than 153 cms.</p> <p>(b) Chest: Not applicable.</p> <p>(c) Weight: Proportionate to height.</p> <p>(d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses.</p> <p>Note: Candidates should not have knock-knee or flat foot.</p> <p><u>Desirable:</u> Experience in fire fighting operations.</p>	No.	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
<p>By promotion failing which by direct recruitment through Employment Exchange/ Sainik Welfare Offices of the State. <u>For Ex-servicemen</u> <u>Deputation/</u> <u>re-employment.</u></p>	<p><u>Promotion:</u> Departmental Security Guards with 16 years' of regular service in the grade.</p> <p><u>Deputation/Re-employment:</u> The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year having requisite experience and qualifications prescribed under column (8) shall also considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due to release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Security Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 	<p>Not applicable.</p>

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7. Lower Division Clerk	5* (2000)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial.	Rs.3050-75-3950-80-4590	Not applicable	Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep)

* Subject to variation dependent on workload

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	<p>(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent;</p> <p>(ii) possessing a speed of 30 words per minute in English Typewriting; and</p> <p>(iii) knowledge in word processing.</p> <p>Note: A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post, but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Exchange for handicapped or a Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to type.</p>	No.	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
80 percent by direct recruitment through Staff Selection Commission and 20 percent by promotion.	<p><u>Promotion:</u> Departmental Duplicating Operator and Peons (Group 'D'), subject to the following conditions:-</p> <p>(a) Selection shall be made through Departmental examination conducted for such Group 'D' employees who fulfil the minimum qualifications specified in column (8).</p> <p>(b) Maximum age for the departmental examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates).</p> <p>(c) Combined regular service of 8 years' in the posts of Duplicating Operator and Peon is essential.</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer Madras Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member. 	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
8. Hindi Typist.	1* (2000).	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.3050- 75-3950- 80-4590	Not applicable	<p>Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age).</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).</p>

* Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	(i) Secondary School Pass Certificate or its equivalent; . (ii) possessing a speed of 25 words per minute in Hindi Typewriting; and (iii) knowledge in word processing.	Age: No Educational qualifications: Yes	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
By direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by promotion.	<p><u>Promotion:</u> Departmental Duplicating Operator and Peons (Group 'D'), subject to the following conditions:-</p> <p>(a) Selection shall be made through Departmental examination conducted for such Group 'D' employees who fulfil the minimum qualifications specified in column (8).</p> <p>(b) Maximum age for the departmental examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates).</p> <p>(c) Combined regular service of 8 years' in the posts of Duplicating Operator and Peon is essential.</p>	<p><u>Group 'C' Departmental Promotion Committee:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Development Commissioner, <i>Madras</i> Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer <i>Madras</i> Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development Commissioner, <i>Madras</i> Export Processing Zone - Member. 	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
9. Duplicating Operator.	1* (2000).	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs.2650-65-3300-70-4000.	Selection-cum-Seniority.	Not applicable.

* Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[11]	[12]	[13]	[14]
By promotion.	<p><u>Promotion:</u></p> <p>Departmental Peons with four years's regular service in the pay scale of Rs. 2550-3200 in the grade, having proficiency in operating and maintaining duplicating machine, electronic stencil cutter, photo-copier, fax machines and ability to read English.</p>	<p><u>Group 'D' Departmental Promotion Committee (for promotion):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member. 	Not applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10. Peon.	2* (2000).	General Central Service, Group 'D', Non- Gazetted, Ministerial.	Rs.2550- 55-2660- 60-3200.	Not applicable.	Between 18 and 25 years (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes category, upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). (Relaxable for Government servants upto 40 years of age). Note: The crucial age date for determining the age limit will be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names

* Subject to
variation dependent
on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	A pass in 8th Standard or its equivalent from a Board recognised by the Central or State Government and having ability to read English.	Not applicable.	Two years.

[11]	[12]	[13]	[14]
By direct recruitment through Employment Exchange.	Not applicable.	<u>Group 'D' Departmental Promotion Committee (for confirmation):</u> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Assistant Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Member.	Not Applicable.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11. Security Guard.	39* (2000).	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs.2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	<p>Between 18 and 25 years. (Upto 28 years in respect of Other Backward Classes and upto 30 years in respect of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. [Relaxable for Government servants upto 30 years of age].</p> <p>Note:- The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchange/Sainik Welfare Offices of the State are asked to submit the names.</p>

* Subject to variation dependent on workload.

[7]	[8]	[9]	[10]
Not applicable.	<p><u>Essential:</u></p> <p>VIII Standard pass or equivalent examination of a recognised institution. Ex-servicemen who have served as Sepoy or equivalent grades and have passed V Standard examination of a recognised institution.</p> <p><u>Minimum physical standards:</u></p> <p><u>Men:</u></p> <p>(a) Height: 165 cms.</p> <p>(b) Chest: Minimum 78.75 cms. Expanded: 83.75 cms.</p> <p>(c) Weight: 50 Kgs.</p> <p>(d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses.</p> <p><u>Women:</u></p> <p>(a) Height: Not less than 153 cms.</p> <p>(b) Chest: Not applicable.</p> <p>(c) Weight: Proportionate to height.</p> <p>(d) Eye sight: Normal with or without wearing glasses.</p> <p>Note: Candidates should not have knock-knee or flat foot.</p> <p><u>Desirable:</u></p> <p>Experience in fire fighting operations.</p>	No.	Two years for direct recruits.

[11]	[12]	[13]	[14]
<p>By direct recruitment through Employment Exchange/ Sainik Welfare Offices of the State.</p> <p><u>For Ex-Servicemen:</u> Deputation/ Re-employment.</p>	<p><u>Deputation/Re-employment:</u></p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.</p>	<p><u>Group 'D' Departmental Promotion Committee (for Confirmation:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Development Commissioner, Madras Export Processing Zone - Chairman. 2. Administrative Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 3. Security Officer, Madras Export Processing Zone - Member. 	<p>Not applicable.</p>

[F. No. A-6/1/2000/EPZ]

K. K. VIJAYAN, Dy. Secy.